संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,
परिवहन विभाग,
दमण.

50/TRANDMN/2023/

सं. DDTR/DMN/CVHRMAS/2023/240. दिनांक : 30/10/2023.

पढ़ें :- भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जी.एस.आर. सं. 163 (ई), दिनांक 25/02/2022 के तहत अधिसूचित हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटनापीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022.

आ दे श

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के सभी तीन जिलों में हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्यों को करने के लिए स्कीम के नियम 11 के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों से जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

(क)	दावा निपटान आयुक्त / समाहर्ता, दमण/दा.न.ह./दीव	अध्यक्ष
(ख)	दावा जांच अधिकारी / जिले के उप समाहर्ता या मामलतदार	सदस्य
(ग)	पुलिस अधीक्षक, दमण/दा.न.ह./दीव	सदस्य
(घ)	चिकित्सा अधीक्षक (स्वास्थ्य), दमण/दा.न.ह./दीव	सदस्य
(ङ)	मो.वा.नि./स.मो.वा.नि., दमण/दा.न.ह./दीव	सदस्य
(च)	अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर नामित सड़क सुरक्षा पहलुओं से जुड़ा कोई नागरिक या स्वैच्छिक संगठन का सदस्य	सदस्य
(छ)	साधारण बीमा परिषद् द्वारा नामित एक अधिकारी	सदस्य सचिव

2. सदस्य के रूप में किसी पद द्वारा नामित कोई व्यक्ति तब सदस्य नहीं रहेगा, जब वह उस पद पर नहीं रहेगा ।

3. किसी सदस्य को उसके संबंधित विभाग में स्वीकार्य दर पर यात्रा और दैनिक भत्ता के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा और भत्ता उस स्रोत से दिया जाएगा, जिससे वह वेतन आहरित करता है तथा पैरा-11 के उप-पैरा (1) के खंड (च) के अधीन नामित किसी सदस्य को साधारण बीमा परिषद द्वारा ऐसी दरों पर जो साधारण बीमा परिषद द्वारा विनिश्चित की जाए, यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा ।

4. **जिला स्तरीय समिति की शक्तियां और कर्तव्य :-** जिला स्तरीय समिति इस स्कीम के जिला स्तर पर कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करेगी -

(क) संबंधित जिला में इस स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना और जहां कहीं अपेक्षित हो, सुधारात्मक कदम उठाना;

(ख) स्थायी समिति को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप सहित तिमाही आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राप्त किए गए, दिए गए, लंबित दावा आवेदन और लंबित होने के कारणों के बारे में माहवार आंकड़ों की जानकारी शामिल हो;

(ग) जिला में अन्य प्राधिकारियों के साथ नजदीकी संपर्क बनाए रखना, ताकि इस स्कीम का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित किया जा सके;

(घ) जहां कहीं मांगा जाए, संबंधित प्राधिकारियों एवं दावेदारों को मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण प्रदान करना; और

(ङ) इस स्कीम के अधीन दावेदारों को उपलब्ध अधिकारों और प्रतिकर के उपबंधों के बारे में जागरूक करना ।

5. **जिला स्तरीय समिति की बैठक :-**जिला स्तरीय समिति संबंधित जिले में ऐसे समय, तारीख और स्थान पर बैठक करेगी जो इस संबंध में समय-समय पर अध्यक्ष नियत करे, परंतु समिति तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

6. जिला स्तरीय समिति कीगणपूर्ति, निर्णय और अन्य कार्य हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 के खंड 15, 16, 17, 18 और 19 के तहत यथा-निर्दिष्ट होंगे।

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं
दीव के आदेश एवं नाम से

(आशीष मोहन)
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (परिवहन)
दानह तथा दमण एवं दीव

सेवा में,

सभी संबंधित.

प्रतिलिपि :-

1. उप निदेशक, सरकारी मुद्रणालय, दमण को इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु.
2. सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, दमण.
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., दमण को इसे सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु.
4. कार्यालय प्रति.
5. गार्ड फाइल.